न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 06/2023 (जीसीएमएस नम्बर 2023/18)

1. मोहनलाल पुत्र प्रभात्या जाति बैरवा निवासी जामा तहसील दौसा जिला दौसा।

—अपीलान्ट

बनाम

1. भूली पुत्री प्रभात्या पत्नि बसंतीलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम जामा तहसील दौसा हाल निवासी ग्राम पुरोहितों का बास तहसील दौसा जिला दौसा।
2. कौशल्या पुत्री प्रभात्या पत्नि हीरालाल जाति बैरवा निवासी ग्राम जामा तहसील दौसा हाल निवासी ग्राम मानोता तहसील बसवा जिला दौसा।
3. प्रेम पुत्री प्रभात्या पत्नि रामफूल जाति बैरवा निवासी ग्राम जामा तहसील दौसा हाल निवासी ग्राम कोटापटटी तहसील लवाण जिला दौसा।
4. शान्ति पुत्री प्रभात्या पत्नि रामलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम जामा तहसील दौसा हाल निवासी ग्राम कोटापटटी तहसील लवाण जिला दौसा।
5. फूलवती पुत्री प्रभात्या पत्नि प्रभात जाति बैरवा निवासी ग्राम जामा तहसील दौसा हाल निवासी आमटेडा तहसील दौसा जिला दौसा।
6. मांगीलाल पुत्र प्रभात्या जाति बैरवा निवासी ग्राम जामा तहसील दौसा जिला दौसा।
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार दौसा जिला दौसा।
8. ग्राम पंचायत कालोता तहसील दौसा जरिए सरपंच

— रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी दौसा निर्णय दिनांक 20.09.2022

उपस्थित—

1. श्री रामप्रसाद बैरवा, वकील अपीलान्ट ।
2. श्री अनिल कुमार शर्मा, वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 से 5 की ओर से
3. श्री मांगीलाल, रेस्पोडेन्ट नं. 6 अनुपस्थित।
4. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. नं. 7

निर्णय

दिनांक —22.11.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी दौसा के निर्णय दिनांक 20.09.2022 के खिलाफ प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 23.01.2023 को न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि सरपंच, ग्राम पंचायत कालोता ने प्रभात्या का स्वर्गवास दिनांक 26.09.2007 को होने पर विवादित भूमि का नामान्तरकरण संख्या 207 दिनांक 09.01.2008 वाके ग्राम जामा मांगीलाल, मोहनलाल पुत्र प्रभात्या के नाम खोला गया। जिससे व्यथित होकर प्रभात्या की पुत्रियों ने उपखण्ड अधिकारी दौसा के यहां अपील पेश की। उपखण्ड अधिकारी दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.09.2022 द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्रकरण को रिमाण्ड किया जाकर उभय पक्षकारान को विधिवत सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया जाकर एवं विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करने के अपीलाधीन आदेश पारित किये गये।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. उपखण्ड अधिकारी दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.09.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट मोहनलाल पुत्र प्रभात्या द्वारा यह अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.09.2022 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागणों की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नंबर 69/1 रकबा 0.83 है0, 70/1 रकबा 0.31 है0, 71/1 रकबा 0.22 है0, 72/1 रकबा 0.12 है0 73/1 रकबा 0.24 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.72 है0 वाके ग्राम जामा जिला दौसा में स्थित है। उक्त भूमि विवादग्रस्त के रिकार्डेड खातेदार प्रभात्या का स्वर्गवास दिनांक 26.09.2007 को होने पर उसकी विरासत का नामान्तरकरण 207 दिनांक 09.01.2008 को सरपंच ग्राम पंचायत कालोता द्वारा मृतक खातेदार के विधिक वारिसान मांगीलाल, मोहनलाल पुत्रान प्रभात्या के नाम स्वीकार किया गया था। उसके बावजूद रेस्पोडेन्ट नंबर 1 लगायत 5 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त नामान्तरकरण संख्या 207 के विरूद्ध लगभग 12 साल बाद अपील पेश की थी। जो स्पष्टतया मियाद बाहर थी तथा उक्त विलम्ब के सम्बन्ध में कोई संतोषजनक कारण भी रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश नही किये गये थे, उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मियाद के बिन्दु पर बिना कोई विधिक विचार किये ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.09.2022 पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अधिवक्ता अपीलान्ट ने यह भी कथन किया है कि अपीलान्ट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में यह तर्क भी किया गया था कि रेस्पोडेन्ट नंबर 1 लगायत 5 द्वारा सक्षम न्यायालय में अपने अधिकारों की घोषणा का वाद पेश कर रखा है तथा उक्त वाद में ही रेस्पोडेन्ट नंबर 1 लगायत 5 के अधिकार साक्ष्य के आधार पर तय होगें एवं नामान्तकरण की प्रक्रिया तो एक लीगल प्रक्रिया है जिसमें किसी भी पक्षकार के हक, हकूक तय नहीं होते है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु पर भी बिना विचार किये ही रेस्पोडेन्ट नंबर 1 लगायत 5 की अपील को स्वीकार करने में कानूनी गलती की है। उन्होने आगे कथन किया है कि कानूनन जहां अधिकारों के लिए पक्षकारान के मध्य नियमित वाद विचाराधीन है तो अपील का निस्तारण नहीं किया जाना चाहिए। इस संबंध में अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष न्यायिक दृष्टांत भी पेश किये गये थे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांतों पर भी कोई अवलोकन नहीं किया। उन्होने यह भी कथन किया है कि नामान्तकरण की कार्यवाही के समय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 की पूर्ण सहमती थी तथा उन्होनें पटवारी के समक्ष अपना हक त्याग पत्र भी पेश कर दिया था इसके बावजूद भी झूंठे तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गई थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कोई गौर नहीं किया और अपील स्वीकार करने का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.09.2022 पारित किया है, जो विधि विधान के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से पूर्व अधिवक्ता श्री योगेश जाखड ही उपस्थित होकर प्रकरण में पैरवी करते थे तथा उन्होने आश्वासन दे रखा था कि जब भी अपील का निर्णय होगा या आवश्यकता होगी तब सूचना देकर बुला लेंगे परन्तु अपीलान्ट के पूर्व अधिवक्ता योगेश जाखड द्वारा अपीलान्ट को निर्णय के बाबत कोई सूचना नहीं दी इसलिए अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी। अब दिनांक 07.12.2022 को अपीलान्ट ने अपने पूर्व अधिवक्ता से प्रकरण के संबंध में जानकारी की तो उन्होनें

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

बताया कि अपील का निर्णय दिनाक 20.09.2022 को ही हो गया। इस जानकारी पर अपीलान्ट ने दिनांक 08.12.2022 को नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी नकल दिनांक 09.12.2022 को प्राप्त हुई। इसलिये जानकारी की दिनांक से यह अपील न्यायालय की अनुमति हेतु पेश की जा रही है। अपील पेश करने में हुई देरी काबिले माफी है। अतः अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें एवं अपील के समस्त तथ्यों के मध्यनजर अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.09.2022 को निरस्त फरमाते हुऐ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमाने की कृपा करें।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है तथा खास सगे भाई–बहिन है तथा प्रभात्या मृतक के जायन्दा पुत्र–पुत्रियां है तथा काननी उत्तराधिकारी व वारिसान हैं। ऐसे में अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 का मृतक प्रभात्या की समस्त कृषि भूमि व चल–अचल सम्पति पर सभी वारिसान का बराबर का हक व हिस्सा निहित है। भूमि विवादग्रस्त के साबिक नम्बर 36 मिन थे तथा एकीकरण की खतौनी सम्वत 2027 में उक्त भूमि की खातेदारी रेस्पोडेन्ट के बाबा नहन्या पुत्र मुकुन्दा के नाम से दर्ज थी। इससे भी स्पष्ट है कि उक्त भूमि रेस्पोडेन्टस एवं अपीलान्ट के पिता की सम्पत्ति है तथा पैतृक सम्पति में रेस्पोडेन्ट को जन्म से ही कानूनन अधिकार प्राप्त हो चुके थे। रेस्पोडेन्ट्स के पिता प्रभात्या का स्वर्गवास दिनांक 26.09.2007 को हो गया तथा उसकी पत्नि की भी मृत्यु हो चुकी है। अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 6 ने पटवारी हल्का व ग्राम पंचायत के सरपंच से षडयंत्र करके चुपचाप में प्रभात्या पुत्र नहनू की विरासत का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 8 से मिलीभगत कर दिनांक 09.01.2008 को अवैध रूप से तस्दीक कराकर खातेदारी अपने नाम से दर्ज करवा ली। ग्राम पंचायत कालोता द्वारा प्रभात्या के वारिसान के संबंध में बिना कोई जांच किये व बिना विधिक प्रकिया अपनाये ही नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। ग्राम पंचायत के कोरम के समक्ष नामान्तरकरण पेश ही नहीं हुआ, जबकि कानूनन कोई निर्णय व आदेश पारित करने से पूर्व ग्राम पंचायत के कोरम में नामान्तरकरण पेश होना चाहिए था। नामान्तरकरण पर आई.एल.आर. की कोई रिपोर्ट भी नहीं ली गई, जबकि आई.एल.आर. की रिपोर्ट होना जरूरी है। उपखण्ड अधिकारी दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.09.2022 द्वारा अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण रिमाण्ड किया गया है कि उभय पक्षकारान को विधिवत सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया जाकर एवं विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुये पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे, जो निर्णय पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपीलान्ट की अपील में कोई सार नहीं होने से अपील खारिज कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.09.2022 को यथावत रखा जावे।

7. रेस्पोडेन्ट संख्या 7 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने भी अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.09.2022 विधि सम्मत बताते हुए अपीलार्थी की अपील खारिज करने का कथन किया।

8. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्षों के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्ट द्वारा दिनांक 07.12.2022 को होना अंकित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी की पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 द्वारा नामान्तरकरण संख्या 207 दिनांक 09.01.2008 के विरूद्ध लगभग 12 वर्ष पश्चात् असाधारण विलम्ब से दिनांक 08.07.2020 को अपील प्रस्तुत की गई है उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 के सम्बन्ध में बिना निर्णय पारित किये ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.09.2022 पारित किया है जो न्यायिक प्रक्रियाओं एवं विधिक प्रावधानों के विपरित होने से उचित नही ठहराया जा सकता।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.09.2022 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के सम्बन्ध में आख्यापक एवं सकारण (Speaking & Reasoned) आदेश पारित किया जावें। तदुपरान्त प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 द्वारा कोई हक त्याग इत्यादि किया गया है अथवा नहीं बाबत जॉच की जाकर ग्राम पंचायत के रिकार्ड के अवलोकन पश्चात् पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावे।

(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 22.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर